

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/कोर्ट केस/एस- 135-कोर्टकेंस 32392 /2025/73

दिनांक 4/3/2025

डॉ. बी.एम. स्वर्णकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर
एवं स्टेण्डिंग केस प्रभारी अधिकारी।

विषय:-एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या...../2025 शाहूद खान बनाम राजस्थान राज्य
व सरकार के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट वाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एस बी सिविल रिट पिटिशन संख्या...../2025 शाहूद खान
बनाम राजस्थान राज्य व सरकार में आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण की तथ्यात्मक
रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. विवादित नहीं है।
2. विवादित नहीं है।
3. विवादित नहीं है।
4. मान्य नहीं है, आदेश के विन्दू संख्या 7 में स्पष्ट किया जा चुका है तथा निदेशक अराजपत्रित,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, विभाग के समस्त अराजपत्रित कार्मिकों के नियुक्ति प्राधिकारी होने के
कारण पदस्थापन/स्थानान्तरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण भी
राज्य हित/लोकहित एवं प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिस भी TSP कार्मिक की
सेवापुस्तिका में TSP इन्द्राज किया जाता है, उस कार्मिक का TSP से TSP में स्थानान्तरण करने हेतु
निदेशक (अराजपत्रित) सक्षम प्राधिकारी है। सहवन से/टाईप त्रुटि की वजह से याचिकाकर्ता का
स्थानान्तरण दो बार एक ही आदेश में टंकित हो गया है।
5. मान्य नहीं है-मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक
प-11(IMN)/2018/जयपुर दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायतीराज
विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतन्त्र प्रभार आवंटित किया गया था जिसकी
निरन्तरता में वर्तमान में भी आदेश जारी किये जाने से पूर्व पत्रावली पर पंचायती राज विभाग की
सहमति प्राप्त की गई है।
6. टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है।
7. विवादित नहीं है। टिप्पणी आवश्यक नहीं है।
- ए. विन्दू संख्या 4 एवं 5 तथा आदेश के दिशा निर्देश के विन्दू संख्या 7 में स्पष्ट किया जा चुका है
बी. विन्दू संख्या 4 एवं 5 तथा आदेश के दिशा निर्देश के विन्दू संख्या 7 में स्पष्ट किया जा चुका है
सी. विन्दू संख्या 4 एवं 5 तथा आदेश के दिशा निर्देश के विन्दू संख्या 7 में स्पष्ट किया जा चुका है
डी. विन्दू संख्या 5 में स्पष्ट किया जा चुका है।
ई. विन्दू संख्या 4 एवं 5 तथा आदेश के दिशा निर्देश के विन्दू संख्या 7 में स्पष्ट किया जा चुका
एफ. टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है।
जी. टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है
एच. एच. टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है

अतः उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ राजकीय अधिवक्ता से संपर्क कर जवाबदावा माननीय
न्यायालय में प्रस्तुत कर एक प्रति निदेशालय को भिजवावें।

(डॉ० आशुतोष गर्ग)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:-नर्सिंग/कोर्ट केस/एस- 135-कोर्टकेंस 32392 /2025/73

दिनांक 4/3/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राजकीय अधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन जोधपुर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड
करावें।

Signature valid

Digitally signed by Ashutosh Garg
Designation: Joint Director
Date: 2025.03.03 19:10:46 IST
Reason: Approver

